

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/ 102

दिनांक:- 4-3-2024

#### आदेश

चिकित्सा अधीक्षक, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाडा के पत्रांक 3659 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके अधीन पदस्थापित श्रीमती सरोज टेलर, नर्सिंग अधिकारी, का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 11.09.2023 को निधन हो जाने के फलस्वरूप स्वर्गीय श्रीमती सरोज टेलर, का नाम एतद् द्वारा राज्य सेवा से विलोपित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 4-3-2024

क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/ 102

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाडा के पत्रांक 3659 दिनांक 04.10.2023 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कार्मिका के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5742958

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :05-03-2024 04:01:41